भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

उप कोषाधिकारी
बदलापुर
28 JAN 2016
जौनपुर

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 713620



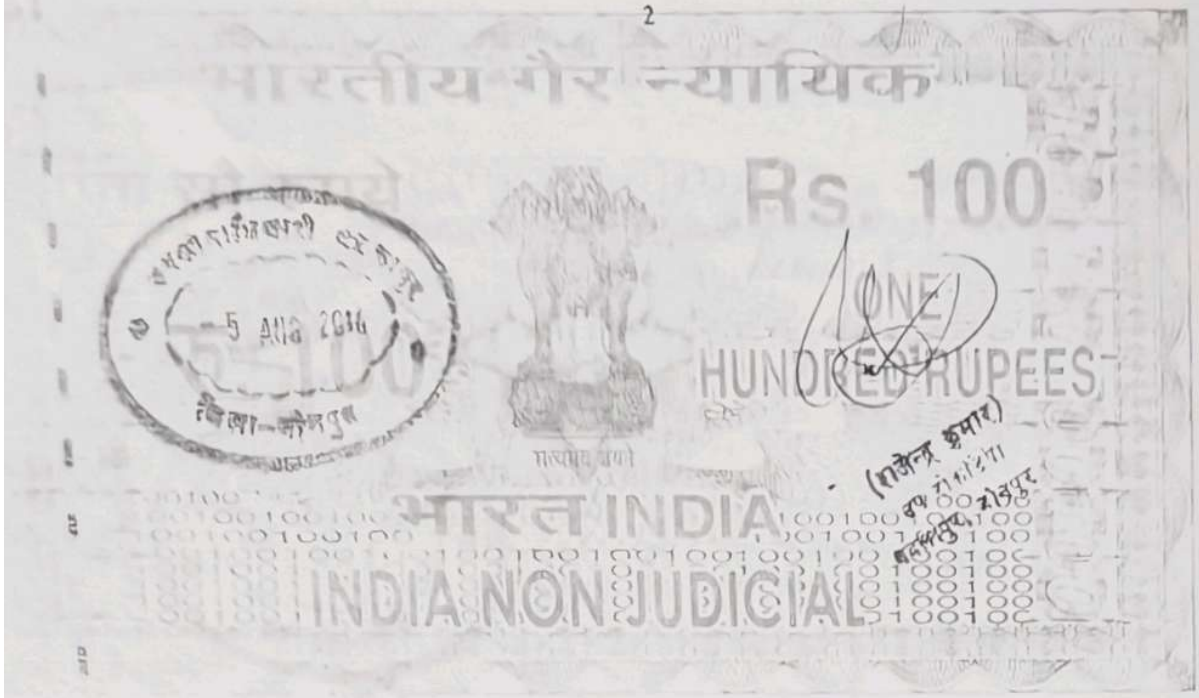
श्री शुभम् एजुकेशनल ट्रस्ट

खजुरन, ढेमा, बदलापुर, जौनपुर, उ0प्र0।

कार्यालय का नामः–	उपनिबंधक–बदलापुर, जनपद जौनपुर
प्रस्तुत करने की तिथिः–	05.09.2016
निष्पादन की तिथि	05.09.2016
प्रस्तुत कर्ता का नाम व पताः–	वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयज्ञ द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0।
विलेख की प्रकृतिः–	ट्रस्टनामा
प्रतिफल की धनराशि	नौ हजार रूपये।
कुल अदा किया गया स्टाम्प	एक हजार पॉच सौ रूपया मात्र।
1. संस्था का नाम–	श्री शुभम् एजुकेशनल ट्रस्ट।
2. संस्था का पता	वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयज्ञ द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0। पिन कोड– 222126



Prasad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705581

ट्रस्टनामा

यह ट्रस्ट/डीड/न्यास विलेख आज दिनांक 03.09.2016 को **वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयज्ञ द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद** जौनपुर, उ0प्र0 द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो भारतीय ट्रस्ट/न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पजीकृत किया जाना प्रस्तावित है। जिसे **श्री शुभम एजुकेशनल ट्रस्ट** के नाम से जाना जायेगा।

2. **ट्रस्ट का मुख्यालय**– इसका मुख्यालय ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0 पिन कोड 222125 रहेगा। केवल कार्य की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यालय ट्रस्टी के संस्थापक मण्डल के दो तिहाई बहुमत से अन्यत्र खोला जा सकेगा।

3. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र**–सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश व भारत वर्ष।

4. **ट्रस्ट का कोष**–पंजीकृत ट्रस्ट स्थापित कर्ता द्वारा दी गयी प्रारम्भिक पूंजी 9,000 रूपये के अतिरिक्त भविष्य में अन्य न्यासी, समूह, समुदाय, सहयोगी, अभिकरण, दानकर्ता तथा अन्य से प्राप्त होने वाला सीधे व बैंक के माध्यम से चल अचल सम्पत्ति एवं निधि भी पूंजी में जुडेगी जिससे न्यास के उद्देश्यो को पूरा करने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के गतिविधियों में खर्च किया जायेगा।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705582

उद्देश्य–

1. उत्तर प्रदेश में जन मानस को कम्प्यूटरीकृत शिक्षा प्रदान करना व कराना।
2. समय समय पर महापुरूषों के प्रवचन तथा अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. समाज के सभी वर्गो को संगठित कर उन्हे राष्ट्र और समाज की सेवा व रक्षा की शिक्षा देना।
4. जनसमूह को अंधविश्वास एवं अशिक्षा के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उन्हे शिक्षित करके जागृत करना।
5. बालक/बालिकाओं के शैक्षणिक विकास के लिए नर्सरी, प्राइमरी, जू0हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट विद्यालय, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, "हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम" नर्सिग होम, अस्पताल, व्यायामशाला व स्विमिंग पूल की स्थापना करना एवं रख रखाव करना। विद्यालयों, महाविद्यालयों, अनाथालयों, चिकित्सा केन्द्रो, मेडिकल कालेजो, इंजीनियरिंग कालेज, व मदरसा तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना एवं परमार्थ संस्थाओं जैसे अशक्तों, अपाहिजों और पीडितों हेतु आश्रयगृह की स्थापना उनका निवार्हन, परिचालन एवं सहायता करना।
6. कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधित तथा आत्मज्ञान से सनित अनुभूतियों का प्रचार एवं प्रसार करना व जन जागरूकता हेतु समय समय पर ट्रस्ट द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 705583

7. कम्प्यूटर के ज्ञान को सभी लोगों तक प्रचार एवं प्रचार व करना।
8. सर्वधर्म समन्वय की भावना को पोषित करना तथा उसके सार तत्वों से जन–जन को अवगत कराना।
9. दैवीय, आपदा जैसे भूकम्प, सूखा, बाढ़ एवं बिमारी आदि के समय पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करना। असहाय महिलाओं की सहायता करना।
10. सभी कार्यो का सम्पादन जाति धर्म वर्ण एवं वर्ग के भेद भाव से रहित होकर करना। गरीब लड़कियों हेतु स्वरोजगार परक शिक्षा देना एवं जागरूक करना।
11. संस्था के सभी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान लेना, दान देना, चल अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, अर्जित करना, बनाना, रख रखाव करना व संचालन करना।
12. आध्ययात्मिक एवं नैतिक सद्विचारों का प्रचार प्रसार करना। मंदिरों का निर्माण करना व उसका रख–रखाव करना।
13. वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा को प्रत्येक जीव में अनुप्राणित करना एवं विश्वशांति के लिए प्रेरित करना व शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ अन्य प्रचार करने वाली सामग्री का प्रयोग करना।
14. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कम्प्यूटर से संबंधित कालिक पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्रकों का प्रकाशन करना/करवाना अथवा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705584

इनका विकय या वितरण करना, पुस्तकालय, वाचनालय, हेल्थ सेंटर व छात्रावास की व्यवस्था करना व रख रखाव करना।

15. मेधावी व जरूरतमंद शिक्षार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना व उनकी शिक्षा हेतु सहयोग प्रदान करना, समाज के उपेक्षित वर्ग को उनका उचित स्थान दिलाने हेतु प्रयत्न करना।
16. संस्था के कोष को सुरक्षित एव लाभकारी रूप में रखना एवं संस्था के कार्य सचालन हेतु स्थायी कोष की स्थापना करना।
17. संस्था की अचल सम्पत्ति व स्थायी कोष की सुरक्षा के लिए अनुकूल व्यवस्था करना।
18. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य सभी ऐसे कार्य करना जो आवश्यक, प्रासंगिक एवं लोकोपकारी हो।
19. ट्रस्ट के सभी कार्य शिक्षार्थ/जनमानस को ध्यान में रखकर किये जायेगें। यह एक चैरिटेबुल प्रवृत्ति का ट्रस्ट कहलायेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705585

ट्रस्ट के द्वारा नर्सरी से 10+2 श्री आ.पी.इण्टरनेशनल स्कूल "सी.बी.एस.ई." ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर के नाम से खोलने का प्रस्ताव है। जिसके द्वारा प्रस्तावित विद्यालय के कुशल प्रबंधन एवं संचालन हेतु शिक्षा विभाग में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन के सन्दर्भ में निम्न प्राविधान जोडा जा रहा है। जो इस प्रकार है–

1. यह कि ट्रस्ट की मैनेजिंग कमेटी संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी द्वारा नामित किसी एक मनोनीत व्यक्ति को इस ट्रस्ट द्वारा संचालित उक्त विद्यालय में एक मनोनीत सदस्य रखेगा।
2. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाले शिक्षण संस्थान में 10 प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित रहेगी, जिनसे शिक्षण शुल्क उ0प्र0मा0शि0प0/बेसिक शिक्षा परिषद में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप लिया जायेगा।
3. यह कि किसी भी प्रकार का अनुदान व वित्तीय सहायता के लिए उ0प्र0 सरकार से प्राप्त करने की मांग नहीं किया जायेगा।
4. यह कि ट्रस्ट के द्वारा संचालित होने वाले विद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों का वेतन व अन्य भत्ते आदि का भुगतान सरकारी अथवा सवित्त मान्यता प्राप्त विद्यालय के समान ही किया जायेगा।
5. यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित होने वाले विद्यालय में कार्य करने वाले सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए सेवा नियमायली बनायी जायेगी जिसका अनुपालन सभी कर्मचारियों को करना होगा एवं सभी कर्मचारी गैर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705586

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के समान ही सेवा निवृत्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी रहेगें।

6. यह कि समय समय पर प्रान्तीय सरकार द्वारा पारित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था/विद्यालय करेगी।

7 यह कि ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के समस्त निर्धारित रिकार्डो अभिलेखों एवं रजिस्टर को मेंटेन करेगीं।

संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तथा कार्यो को सुचारू रूप से एवं व्यवस्थिति रूप से संचालित करने के लिए ट्रस्ट का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रस्ट में कुल 03 सदस्य होगें जिन्हे ट्रस्टी कहा जायेगा। इसका मुख्यालय दस्तावेज में अंकित पते पर ही होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रस्ट के उद्देश्यों, शिक्षाओं तथा संदेशो को सम्पूर्ण विश्व में प्रचारित–प्रसारित एवं कियान्वित करना है ताकि समस्त प्राणियों का आर्थिक/सामाजिक भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण हो सके। संस्था का संचालन बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा होगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु एक केन्द्रीय प्रबंध समिति होगी। बोर्ड आफ ट्रस्टीज का प्रमुख संस्था का अध्यक्ष कहलायेगा। संस्था के प्रबन्धक/सचिव **वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयज्ञ द्विवेदी ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, बदलापुर, जनपद जौनपुर, उ0प्र0।** होंगे।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705587

बोर्ड आफ ट्रस्टीज/केन्द्रीय प्रबंध समिति का गठन–

ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या 03 होगी। इसकी सदस्यता हेतु वही व्यक्ति अर्ह होगा जो ट्रस्ट के सिद्धान्तों में आस्था एवं विश्वास रखेगा। संस्था में पूर्ण श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति ही पात्र होगें। आरम्भ में सदस्यों को 500 रू0 जमा करके ट्रस्टी बनना होगा। केन्द्रीय प्रबंध समिति हेतु इन्ही सदस्यों में से ही पदाधिकारियों का चयन होगा। प्रबन्धक/सचिव के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों का चयन संस्था के अन्य सदस्यो की सहमति से करेंगे। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा। इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व नयी समिति का गठन कर लिया जायेगा। इस समिति में एक अध्यक्ष एक सचिव, तथा एक कोषाध्यक्ष होगें। इनमें आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में प्रबन्धक/सचिव की अनुमति से परिवर्तन भी किया जा सकेगा। प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा तथा उनके त्याग पत्र देने या आसामयिक निधन हो जाने के कारण उसके वैधानिक संतान/उत्तराधिकारी ही होगें।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबंध समिति के अधिकार व कर्तव्य–

ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुकूल कार्यो को अनुष्ठित करना इसका कर्तव्य होगा। समिति के बैठकों में लिए गये निर्णयों को पदाधिकारियों के माध्यम से अधीनस्थ कर्मियों द्वारा सम्पन्न कराना इसका कर्तव्य होगा। किसी भी स्तर पर पदाधिकारियों या कर्मियों में इसके प्रति उदासीनता या अनिष्ठा को घोर अनुशासनहीनता समझा जायेगा तथा इसे संस्था के हितों के प्रतिकूल आचरण की संज्ञा दी जायेगी। समिति के विधान के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 705588

केन्द्रीय प्रबंध समिति/बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रबन्धक/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समस्त बैठकों में प्रबन्धक/सचिव का आसन ग्रहण करना, कार्यवाही का संचालन करना, अनियमित व्यवहार और अनायाश्यक विवाद को रोकना, आम सहमति का प्रयास करना।
2. ट्रस्ट के सम्पूर्ण कार्यो का निरीक्षण करना और कर्तव्यों का पालन करना एवं उन सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो संस्था के सुसंचालन एवं सुप्रबंध के लिए आवश्यक है।
3. प्रश्नों एवं प्रस्तावों के औचित्य पर अपना अन्तिम निर्णय देना।
4. ट्रस्टीज के प्रस्ताव पर मत भिन्नता की स्थिति में मतदानकराना।
5. किसी विषय पर समान मत प्राप्त होने पर अपने निजी मत के अतिरिक्त एक निर्णायक मत प्रदान करना।
6. सभाओं के कार्य में बाधा उत्पन्न करने, प्रबन्धकीय आदेश का उल्लघंन करे, उदण्डता या अपशब्दों का प्रयोग करने वाले सदस्य या महानुभाव को बैठक की कार्यवाही छोडने का आदेश देकर बैठक को अनुशासित करना।
7. किसी भी उपसमिति जिससे संस्था के हितों को नुकसान पंहुचाने की संभावना हो या सस्था की सम्पत्ति को हानि पंहुचाने की परिस्थिति हो तत्काल भंग करना तथा एक सप्ताह के भीतर बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाकर नयीन व्यवस्था हेतु प्रबंध करना। प्रबन्धक/सचिव का कार्यकाल आजीवन रहेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705589

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. ट्रस्ट के समस्त आय व्यय पर नियंत्रण रखना।
2. अध्यक्ष की स्वीकृति से सभा के व्यय का भुगतान करना।
3. संस्था का चंदा या अन्य धन प्राप्त करना, वसूलना एवं संस्था की ओर से रसीद जारी करना।
4. ट्रस्ट/समिति के किसी भी पदाधिकारी की प्रदत्त समस्त अधिकार/कर्तव्यों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना।
5. संस्था के आय व्यय का सम्पूर्ण हिसाब रखना एवं प्रति बैठक में बोर्ड आफ ट्रस्टीज के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा संस्तुति प्रज्ञपत बैंक में या स्थान पर संस्था का समस्त धन जमा करना।
7. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्था का आय व्यय विवरण व बही खातों को आडिट कराना एवं बोर्ड आफ ट्रस्टीज सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
8. ट्रस्ट की समस्त सम्पत्तियों का विवरण रखना।
9. उन सभी कार्यो को करना जो बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा उन्हे सौपें जाये।

बोर्ड की बैठकें एवं कोरम–

ट्रस्ट बोर्ड की एक वित्तीय वर्ष में (जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च की अवधि का होगा) चार बैठकों को आहूत करना आवश्यकीय होगा। अधिक बैठकें प्रयोजन अनुसार आहूत की जा सकेगी। ऐसी बैठक में कोरम बोर्ड संख्या का आधा होगा। यदि कोरम की पूर्ति सभासमय पर नहीं होगी है तो विशेष परिस्थिति में चार सदस्यों की उपस्थिति पर ही बैठक संचालित की जा सकेगी।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DE 705591

कानूनी कार्यवाही–

ट्रस्ट द्वारा या उसके विरूद्ध सभी कानूनी कार्यवाही, कार्यवाहियॉ कोषाध्यक्ष के नाम से निर्गत की जायेगी, किन्तु आवश्यकतानुसार बोर्ड किसी विशेष व्यक्ति को अपने निर्णयानुसार यह अधिकार दे सकेगी। ट्रस्ट के सभी वाद जनपद जौनपुर न्यायालय में पोषनीय होगे।

वार्षिक सभा–

ट्रस्ट के बोर्ड की एक वार्षिक बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात तीन माह के भीतर अवश्य बुलायी जायेगी जो वार्षिक साधारण सभा कहलायेगी। इसमें वित्तीय लेखा जोखा पास किया जायेगा। व्यतीत हुए वर्ष के कार्य कलापों की समीक्षा व आने वाले वर्ष के कार्यो के निर्धारण इस सभा के विशेष बिंदु होगें। अन्य विषयों पर भी जो आवश्यक होगे विचार विमर्श/चर्चा की जायेगी, तदनुसार बोर्ड उस पर निर्णय लेगा।

सभा सूचना–

ट्रस्ट के किसी भी बैठक के निर्णय की सूचना सभा आहूत करने के दिन से दस दिन पूर्व देनी होगी। किन्तु किसी आकस्मिक बिंदु पर विचारार्थ सभा हेतु कम समयावधि की सूचना द्वारा भी वैध होगी।

संशोधन व बिसंगतिया–

ट्रस्ट विधान में किसी प्राविधान के भाष्य विसंगति की अवस्था में उसके स्पष्टीकरण का अधिकार बोर्ड के बहुमत के आधार पर तय होगा। नियम, व्यवस्थाओं या किसी प्रकार के विधान संशोधन हेतु बोर्ड का 2/3 का मताधिकार आवश्यक होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 705590

बोर्ड सदस्यों में रिक्तता की पूर्ति–

इस ट्रस्ट दस्तावेज में उल्लिखित कारणों या अन्य किसी परिस्थिति में बोर्ड सदस्य का कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति करने का निर्णय बोर्ड बैठक में बहुमत से तय होगा, परन्तु इसके लिए प्रमुख ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव) के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होगा।

त्याग पत्र–

ट्रस्ट सेवा से मुक्त होने के इच्छुक ट्रस्टी को प्रबन्धक/सचिव को त्यागपत्र सौंपना होगा जिसे बोर्ड में विचारार्थ रखा जायगा। बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात सेवा से मुक्त होने के इच्छुक सदस्य ट्रस्ट के सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जायेगे। यदि कोई ट्रस्ट किसी न्यायालय द्वारा किसी गम्भीर अपराध का दोषी घोषित किया जाता है, या दिवालिया हो जाता है तो बोर्ड उसे सदस्यता से वंचित कर निष्कासित कर सकेगी।

बैंक खाता–

1. ट्रस्ट का बैंक खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त बैंक में खोला/रखा जायेगा।
2. बैंक खाते का संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा।
3. आसन्न योजनाओं में अप्रयोजनीय अतिरिक्त राशि को बोर्ड के निर्णयानुसार स्थायी जमा राशि में रूपान्तरण किया जायेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 705593

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम व पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी संस्था के इस स्मृति पत्र के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम तथा पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, जनपद जौनपुर।	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्व0 रामयज्ञ द्विवेदी	ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, जनपद जौनपुर।	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा
3.	शुभम द्विवेदी पुत्र वीरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी	ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, जनपद जौनपुर।	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा

हम हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृतिपत्र/ट्रस्ट का संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1882 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DE 705594

RP Tiwari Adv
5.9.2016

मशविदाकर्ता– राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (एडवोकेट)
तहसील बदलापुर, जौनपुर।
दिनांक 05.09.2016

हरिशंकर

टाईपकर्ता–हरिशंकर
तहसील बदलापुर, जौनपुर।

संजय कुमार सिंह पुत्र स्व०- त्रिलोचन सिंह, ग्राम व पो०- ढेमा तह०- बदलापुर, जौनपुर

गवाहान–

1. संजय कुमार सिंह
पुत्र स्व0 त्रिलोचन सिंह संजय कुमार सिंह
ग्राम व पो0 ढेमा, तहसील बदलापुर, जौनपुर।
मो०नं०- 9554695020



2. प्रमोद कुमार शुक्ला प्रमोद कुमार शुक्ला
पुत्र स्व0 विश्वनाथ शुक्ला, पुत्र स्व०- त्रिलोकनाथ शुक्ला
ग्राम खजुरन, पो0 ढेमा, ग्राम- खजुरन, पो० ढेमा
तहसील बदलापुर, जौनपुर। तह०- बदलापुर, जौनपुर
मो० नं०- 8576065808 प्रो० प्रमोद कुमार शुक्ला





आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

VIRENDRAPRASAD R DWIVEDI

RAMYAGYA DWIVEDI

21/11/1962

Permanent Account Number

AABPD9065F

Signature



03092014

भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र
ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

SVX0773366



निर्वाचक का नाम : संजय
Elector's Name : Sanjay
पिता का नाम : त्रिलोचन
Father's Name : Trilochan
लिंग/ Sex : पुरूष / Male
जन्म की तारीख / Date Of Birth : XX/XX/1978

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पहचान पत्र
IDENTITY CARD

UPV47\258\0465152



Duplic

निर्वाचक का नाम : प्रमोद कुमार
Elector's Name : Pramod Kumar
पिता का नाम : विश्वनाथ
Father's Name : Vishvanath

लिंग / Sex : पुरूष Male
1.1.2007 को आयु : 30
Age as on 1.1.2007

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं:
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
5 वी मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे – 411 016.

If this card is lost / someone's lost card is found, please inform / return to :
Income Tax PAN Services Unit, NSDL
5th floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune – 411 016.

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

SVX0773366

पता : 122, ढेमा म. न. 1 से 200 तक ढेमा म. न. 1 से 200 तक, ढेमा

तहसील - बदलापुर
जिला - जौनपुर (उ.प्र.)-222145

Address : 122, Dhema M. N. 1 Se 200 Tak Dhema M. N. 1 Se 200 Tak, Dhema

Tehsil - Badalapur
Distt. Jaunpur (UP)-222145

Date : 22/12/2010

364-बदलापुर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति

Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 364-Badlapur

217/1027

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराने तथा उस पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें

In case of change in address, mention this Card No. in the relevant Form for including your name in the roll at the changed address and to obtain the card with the same number

पहचान पत्र संख्या :- UP/47/268/045515

पता
म.सं. : 58
गली/मोहल्ला : खजुरन
ग्राम/नगर : खजुरन
थाना
जिला : जौनपुर

Address
H.No. 58
Strt/Mohalla. Khajuran
Vill/Town Khajuran
PoliceStn
Distt Jaunpur
Pin

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 242-गरवारा
Facsimile Signature of Electoral Registration Officer for 242- Garwara

स्थान जौनपुर
Place Jaunpur

दिनांक
Date 04/02/2007

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है ।

This card can be used as an Identity Card under different Government Schemes.

145/47

आज दिनांक **05/09/2016** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **14**

पृष्ठ सं. **135** से **166** पर कमांक **27**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(राजेन्द्र प्रसाद)

उप निबंधक (बदलापुर)

जौनपुर

5/9/2016